आदेश

विश्वव्यापी महामारी (COVID)-19 के संक्रमण के बचाव हेतु जनपद में निम्नलिखित दुकानों को अग्रिम आदेशों प्रतिबन्धित किया जाता है जिसमें **तहसील मिलक** में पटवाई रोड मार्केट, **तहसील सदर** में शादाब मार्केट, नसरूल्ला खान मार्केट, चाकू बाजार, बर्तन बाजार, गुरूनानक रोड बाजार, सी0आर0पी0एफ0 रोड बाजार, काजी गली, सफदरगंज बाजार, पीला तालाब मार्केट **तहसील बिलासपुर** में पुरानी तहसील रोड मार्केट, गुरद्वारा मार्केट, **तहसील टाण्डा** में मीना बाजार, **तहसील स्वार** में कोतवाली रोड मार्केट, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्लेक्स एवं **तहसील शाहबाद** में नगर पंचायत के पास स्थित मेन मार्केट तथा सैफनी में अम्बेडकर मूर्ति के पास मार्केट में आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों को अग्रिम आदेशों तक बाधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जनपद में ब्यूटी पार्लर, हैयर काटिग सैलून, सीमेन्ट की दुकानें, सेनेट्री वेयर की दुकाने, भवन निर्माण सामग्री सर्राफा से संबंधित दुकानें, फास्टफूड की दुकानें, लोहे की बैल्डिंग दुकानें जिम आदि के साथ ही इलेक्ट्रोनिक्स, मैट्रेसिस व कार्टेन, सूज हाउस(जूते के शोरुम) की दुकानें भी अग्रिम आदेशों तक बाधित रहेंगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

संख्या 2099/न्याय सहायक दिनांक मार्च, 23, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस अधीक्षक, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी रामपुर।
3. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
4. नगर मजिस्ट्रेट, रामपुर।
5. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भीड़–भाड वाले स्थानों की मार्केट को भी अपने स्तर बन्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
6. सहायक श्रमायुक्त रामपुर।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत रामपुर।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।